विज्ञापन पत्रांक फार्म/मु0म0प्र0/क्र0वि0/

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ 2023 में 85.40 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने को विभिन्न खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या......................	:	निविदा शुल्क ₹ 1000.00 प्रति निविदा+जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 26.09.2023 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक 09.10.2023 को अपरान्ह 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 10.10.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 10.10.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्राों में खरीफ 2021 में 85.40 हैक्टेयर में उत्पादित गन्ने की खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु दरें।

हल्दी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	कांटा (सर्विस स्टेशन, हल्दी)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)	उपलब्ध करायी जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रक/भैंसा बुग्गी की संख्या
	खण्ड से क्रय केन्द्र तक औसत दूरी (कि0मी0)		
"एच",	2.00		
"जे"	3.00		
"एन"	7.00		
"क्यू"	7.00		
"आर"	7.00		
"टी"	7.00		

मैंने पूर्व पृष्ठ भाग पर वर्णित निविदा की शर्तो का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्ते मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ .... बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर सं0...

दिनांक..

धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम/पिता का नाम ....

ग्राम व पोस्ट ....

तह0 .... जनपद..................................

पिन .... दूरभाष...................................

मोबाइल नं0 ....

पैन संख्या .... आधार नं0...............................

बैंक का खाता सं0/शाखा का नाम ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में उत्पादित गन्ने की ढुलाई कार्य

निविदा की शर्तें

1. निविदा के साथ गन्ना ढुलाई हेतु धरोहर राशि ₹ 30,000.00 (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता को निविदायें दिनांक 10.10.2023 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदादाता को गन्ना ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक/भैंसा बुग्गी की संख्या का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से करना होगा जिससे विश्वविद्यालय फार्म अपने प्रतिदिन मांग के अनुसार की व्यवस्था कर सकें।
4. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
5. गन्ने के खेतों से ढुलाई गन्ना मिल की मांग के अनुसार कांटे तक करनी होगी।
6. फार्म के खण्डों से गन्ने की निकासी से पूर्व प्रक्षेत्र सहायक के द्वारा रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना रवन्ना प्राप्त किये ट्रैक्टर–ट्राली, ट्रक व बुग्गी खेत से बाहर नहीं निकाली जायेंगी।
7. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व ठेकेदार का होगा।
8. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
9. ठेकेदार के श्रमिकों, एवं मशीनों द्वारा वि0वि0 फार्म की फसलों को क्षति पहुॅचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
10. ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रक/भैंसा बुग्गी में गन्ने की लदाई एवं उतराई का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
11. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने जानवरों (प्रति बुग्गी दो) के अतिरिक्त अन्य जानवर लाना वर्जित है।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला–ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
13. यदि खेत में गन्ना छोड़ा गया तो ₹ 500.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति कर ली जायेगी।
14. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार ट्रान्सपोर्ट के साधन उपलब्ध कराने होंगे।
15. प्रस्तावित कार्य अनुमानित कार्य है, कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
16. गन्ना ढुलाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि सम्बन्धित ठेकेदार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
17. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं0 एवं आधार कार्ड नं0 का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी0एस0टी मुक्त होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
18. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
19. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे–सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगें तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे–सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं है।

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर